



सत्यमेव जयते

राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग National Commission for Scheduled Tribes

(भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के अंतर्गत एक संवैधानिक निकाय)
(A constitutional body under Article 338A of the Constitution of India)

SITTING NOTICE

फा. सं.: NCST/SER-449/MRLY/11/2022-SSW

दिनांक: 03/07/2026

सेवा में,

महा प्रबंधक

उत्तर मध्य रेलवे

लीडर रोड

सिविल लाईन्स

प्रयागराज (अलाहाबाद) -211003 (उत्तर प्रदेश)

ई मेल: gm@ncr.railnet.gov.in

विषय:

रेलवे प्रशासन द्वारा अनुसूचित जनजाति के कर्मचारी की चिकित्सा परीक्षा करवाने के बाद भी स्थायी नियुक्ति न देने के संबंध में-श्री पृथ्वीराज मीना, (ट्रेक मैन), सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेल पथ, उत्तर मध्य रेलवे, ईदगाह (आगरा) का दिनांक 07.02.2022 का अभ्यावेदन।

महोदय,

चूंकि राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भारत के संविधान के अनुच्छेद 338 क के अधीन प्रदत्त शक्तियों के अनुसरण में उक्त उल्लिखित प्रकरण का अन्वेषण करने का निश्चय किया है।

2. डॉ आशा लकड़ा, माननीया सदस्य, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने इस प्रकरण में अन्वेषण / जांच/ की जाने वाली कार्रवाई के लिए **आयोग मुख्यालय, कोर्ट रूम, 6 वीं मंजिल, लोक नायक भवन, खान मार्केट, नई दिल्ली** में दिनांक **15.07.2026 को 12.15 Hrs** बजे सिटिंग /सुनवाई निर्धारित की है।

3. तदनुसार, आपसे अनुरोध है कि कृपया उक्त निर्धारित तिथि एवं समय पर उक्त मामले से संबंधित संपूर्ण तथ्यों एवं सभी संगत मूल अभिलेखों/दस्तावेजों के साथ **व्यक्तिगत रूप से** और माननीया सदस्य के समक्ष परीक्षण के लिए उपस्थित होना सुनिश्चित करें।

4. कृपया ध्यान रखें कि यदि आप बैठक में उपस्थित नहीं होते हैं तो आयोग के समक्ष आपकी उपस्थिति को बाध्यकारी बनाने के लिए, आयोग भारत के संविधान के अनुच्छेद 338क के खंड (8) के अधीन प्रदत्त सिविल न्यायालय की शक्तियों का प्रयोग करने के लिए स्वतंत्र होगा।

भवदीय

पूर्णन्दु कान्त

(पूर्णन्दु कान्त / Purnendu Kant)

निदेशक / Director

ई-मेल: ru4-hq@ncst.nic.in

Ph. No. 011-24645826

प्रति, सिटिंग में उपस्थित होने के लिए सूचनार्थ:

श्री पृथ्वीराज मीना,

ट्रेक मैन, सीनियर सेक्शन इंजीनियर, रेल पथ,

उत्तर मध्य रेलवे, ईदगाह

आगरा-282001

(मो. नं. 8890727131)

PS to Hon'ble Member (Dr. Asha Lakra)

NIC for uploading